रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2006/माघ 21, 1927
No. 133] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2006/MAGHA 21, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2006

का.आ. 204(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया है ;

और उक्त घोषणा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 8-2-2006 में सं. का.आ. 191(अ), तारीख 8-2-2006 द्वारा प्रकाशित की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 द्वारा यथासंशोधित विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त विधि-विरुद्ध संगठन के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी।

[फा. सं. 14017/7/2005-एन आई-III]

बी. ए. कुटीनो, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2006

S.O. 204(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared the Students Islamic Movement of India (SIMI) as an Unlawful Association;

And whereas, the said declaration has been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th February, 2006 *vide* Number S.O. 191(E), dated the 8th February, 2006 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 as amended by the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2004 the Central Government hereby directs that all the powers which are exercisable by it under Sections 7 and 8 of the said Act, shall be exercised also by the State Governments and the Union Territory Administrations in relation to the aforesaid Unlawful Organisation.

[F. No. 14017/7/2005-NI-III]

B. A. COUTINHO, Jt. Secy.

369 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.